(268)

निग0-0269/2018/रीवा/भू-रा0

376

सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

1– हीरामणि केवट तनय चुनकामन केवट उम्र 50 वर्ष निवासी ढेकहा बार्ड क्रमांक 5 रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2– रवीन्द्र नाथ पाठक तनय शिवमणि पाठक उम्र 62 वर्ष निवासी ढेकहा मोहल्ला बार्ड क्रमांक 5 तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

3– श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री राजमणि अग्निहोत्री निवासी ढेकहा मोहल्ला बार्ड क्र0 5 तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ———— निगरानीकर्ता गण

बनाम

1– शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष जिला रीवा म0प्र0

2– सुरेन्द्र कुमार पिता देवतादीन

3– विजय कुमार तनय देवतादीन दोनो निवासी ढेकहा बार्ड क्र0 5 रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

4– डी0एस0 साहनी पिता सरदार के0एस0 साहनी राजपूतगन सर्विस ढेकहा रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

5– श्रीकृष्ण महरोत्रा तनय स्व0 रामकृष्ण खत्री निवासी ग्राम बरही जिला कटनी हाल – ढेकहा रीवा म0प्र0

6– आदर्श महेन्द्रा तनय स्व0 रामकृष्ण खत्री निवासी ऊचाहार रायबरेली उ0प्र0

7– राजमहरोत्रा पिता श्री हरीकृष्ण खत्री निवासी गुरूकृपा ढेकहा रीवा म0प्र0

8– देवरती पुत्री जागेश्वर प्रसाद सेन निवासी ढेकहा रीवा म0प्र0

9– श्रीमती श्यामकली पत्नी देवतादीन (मृतक) ——— गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा
स्वप्रेरणा निगरानी क0 11/अ–74/2015–16 मे
पारित आदेश दिनांक 27–3–18

निगरानी अनतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है –

1–यह कि अधीनस्थ न्यायालय क द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पक्षकार श्रीमती श्यामकली पत्नी देवतादीन कीइ मृत्यु के बावजूद मृतक के विरूद्ध आदेश पारित करने की भूल की है ।

3– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के सामने यह स्पष्ट था कि विवादित भूमियो के विधिवत व्यवस्थापन व नामान्तरण का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा वर्ष 1970 मे दिया गया था तथा विधिवत जांच पड़ताल की गयी थी तथा लगातार भूमिस्वामी का नाम रिकार्डो मे दर्ज रहा आया । इसके बाद आवश्यकतासनुसार भूमिस्वामी द्वारा भिन्न भिन्न व्यक्तियो को भूमियो का विक्रय किया गया ,विक्रय पत्रो का विधिवत पंजीयन किया गया । शासन द्वारा पुनःजांच कर विधिवत नामान्तरण किया गया तथा सभी केता गण का नाम रिकार्डो मे दर्ज किया गया तथा सभी शासन की निगरानी मे नियमानुसार किया जाता रहा अगर आदेश मे कोई भी अनियमितता थी तो समय सीमा के अन्दर शासन द्वारा कार्यवाही किया जाना चाहिए किन्तु समय सीमा मे कोई कार्यवाही नही की गयी बाद मे अधीनस्थ कर्मचारियो / अधिकारियो के निजी स्वार्थ व राजनैतिक दबाव के कारण प्रकरण स्वप्रेरणा निगरानी मे लिया जाकर करीब 50 वर्ष पुराने आदेश को निरस्त किया गया जिसकी अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नही थी ।

XXXIX(a)-BR(H)-11 (268)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–2691-2018**

जिला–रीवा

हीरमणि केवट/शासन, सुरेन्द्र कुमार

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 11/अ–74/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	